

पत्रक

निदेशक  
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में

प्रतिलिखित संस्था/केंद्र  
आर 0.आर 0.अम्बेडकर फाउण्डेशन औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र  
टाण्डा  
अम्बेडकरनगर।

पत्रक 3527 / टी-3 / 2090 / भा 0 सं 0 संस्तुति लखनऊ दिनांक 24/5/12 2011  
विषय- स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औद्योगिक केंद्रों के व्यवसाय/यूनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, डी 0 जी 0 ई 0 टी 0 नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिखे गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 10-07-2011 पर दिनांक 20-09-2011 को महानिदेशालय सेवायोजन एवं प्रशिक्षण नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है उसका उद्घरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है।

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केंद्र द्वारा स्थायी संबंधन का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी		अन्युक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	डीजी 0 ई 0 टी 0 द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Fitter 02(1+1)	02(1+1)	02(1+1)	SCIR-09/07/11 SIR-18-08-11 W.e.f. Aug 2011
2-	Electrician 02(1+1)	02(1+1)	02(1+1)	
3-	Electronic Mechanic 02(1+1)	02(1+1)	02(1+1)	
4-	COPA 02(1+1)	02(1+1)	02(1+1)	

DGET-6/24/204/2011-TC DATED 20/09/2011

प्रयोग किये गये संकेत-

- (1) एन 0 सी 0 आर 0 आर 0-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एन 0 आर 0 आर 0-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डी 0 आर 0 आर 0-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) यू 0 सी 0-विचारसूची
- (5) एन 0 आर 0-संस्तुति नहीं किया गया।
- (6) एन 0 सी 0-विचार नहीं किया गया।

2. अगस्त अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा गतार्थ गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण समयान्तगत करके अपनी आस्था विन्दुवार साक्ष्य सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

विशेष - यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जावेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय

(सहल देव)  
अपर निदेशक  
30/5/12

पत्रक / टी-3 / 2090 / भा 0 सं 0 संस्तुति तददिनांकित

प्रतिलिखित निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/शिक्षण)लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष बिन्दु पर विशेष ध्यान दे तथा संबंधित संस्थान/केंद्र को भी अपने स्तर से अवगत करावे।
2. संबंधित संस्थान/केंद्र की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
3. गार्ड फाइल हेतु।
4. उप निदेशक, व्यावसायिक परीक्षा परिषद, अलीगढ़ लखनऊ।

(सहल देव)